27.5.25 वकुलाप उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही जाकर प्रकरण को इसी स्टेज पर नोटप्रेस किया गया। प्रार्थनापत्र प्रार्थी नोटप्रेस कर दिये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

Not Pressed

जिला कलेक्टर; बून्दी